

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बीदासर
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) ~~हरेक माशुवाक~~

पीठासीन अधिकारी :- ~~मनीषा लेखा R.A.S.~~

उनवान

बनाम

~~रूपाराम~~

~~नेमाराय आदि~~

दावा बाबत ~~विज्ञापक~~

मुकदमा नम्बर :-

निर्णय दिनांक :-

वादी की ओर से ~~रूपाराम~~ की व प्रतिवादी की ओर से ~~नेमाराय आदि~~
की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख ~~24/5/18~~ को (नाम पीठासीन अधिकारी)
~~मनीषा लेखा~~ उपखण्ड अधिकारी, बीदासर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश
किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि - ~~वादी का कडप्प जमये 21 जीनामा व विज्ञापक~~

~~उक्त इत प्रकार कंतिग डी जारी किया है कि वादक ले रोटी लेव माशुवाक
के 290 व 593 नाडी 19 बीवा 17 विवाहे जिले प्रतापिठ डिस्सा वाडी
रूपाराम व दुगराम जाते जाठ कि हरेक माशुवाक तह वीडाकर जिस्सा इत के
डिस्सा पांती 290 व 593 मीन नाडी 1. 2380 हेक्टेअर स्तर पा शची पांती
की व प्रतिवादी से 1 नेमाराय व दुगराम जाते जाठ कि हरेक माशुवाक
तह वीडाकर जिस्सा इत के डिस्सा पांती 290 व 593 मीन नाडी 1. 2380 हेक्टेअर
खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।~~

यह आज तारीख ~~24/5/18~~ को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



~~मनीषा लेखा~~
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बीदासर.

वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी	
	रुपया	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस
4. रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय		आदेशिका की तामिल
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस
7. आदेशिका की तामिल		
जोड़		जोड़

* मध्य पाली व उत्तरीय मंत्रालय पर हुजराम जारी जाट कि 686 गांव
 व 88 बीडाल पिछा बूट के हिस्सा पंती केत के 593 भीव ताडी
 1. 2380 इक्वेअर फीट पंती व उत्तरीय मंत्रालय पर हुजराम
 जारी जाट कि 686 गांव व 88 बीडाल पिछा बूट के हिस्सा पंती
 भूमि केत के 593 भीव ताडी 1. 2380 इक्वेअर इमिण पश्चिमी
 पाली कि कोतदारी राजच रिपोर्ट में प्रकाश दर्ज की जाऊए कलम
 लगात कायम किया जावे। व उत्तरीय मंत्रालय रिपोर्ट भूमि रहन
 है, वर उत्तरीय हिस्सा विन्वीय लक्ष्मणों के रहन दर्ज रहे। विभाजन
 प्रकाश व नक्शा कलमि डीसी का भाग रहे। डीसी डीसी की
 पालना हेतु व 88 बीडाल बीडालर को प्रकाश ले लिखा जाये। परकार
 केचो प्रकटा प्रपना - प्रपना वरत केदे। अतः यह निर्णय
 आज दिनांक 24-5-18 को लेट केस को 686 गांव में सुनाया गया।

Manu

उपसह उपकारि
 बीडालर (चुन)

